

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलीदी  
मौजारी अधिकारी : सुखाराम विण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या : 17/2025  
वायर दिनांक : 29.01.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/28  
निर्णय दिनांक : 18.02.2025

- कमला बिश्नोई पत्नी अनूपनराम जाति बिश्नोई निवासी अनूपनगर तहसील बाप जिला फलीदी प्राथी
- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलीदी अप्राथी

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्राथी  
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

निर्णय:-

अधिवक्ता प्राथी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा अनूपनगर पटवार क्षेत्र राणेशी तहसील बाप में प्राथी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 887/558 रकबा 3.5936 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्राथी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्राथी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्राथी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्राथी उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपटी सरकारी भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 34.9648 हेक्टेयर, भूमि ग्राम अनूपनगर पटवार क्षेत्र राणेशी तहसील बाप में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्राथी के खेत खसरा नम्बर 887/558 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु सरकारी भूमि खसरा नम्बर 559 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्राथी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्राथी द्वारा पूर्व में अप्राथी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्राथी की भूमि से लगती डामर सड़क तक पहुंच हेतु प्राथी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर शिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस रुकी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार -

सहायक कलक्टर  
बाप (फलीदी)

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 887/558 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 559 में से उपयोग में ले रहे हैं जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 887/558 के निकटतम खसरा नम्बर 559 के चिपती डामर सडक है।
3. यदि खसरा नंबर 559 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.1214 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया -

1. रास्ते की आत्यातिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यातिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अनोपनगर पटवार क्षेत्र राणेरी के खसरा नंबर 559 रकबा 0.1214 हैक्टेयर मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक (सुपरिन्टेंडेंट) पिण्डेल आर.ए.एस.  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 बाप (फलोदी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फलोदी)